B. A. Part-2 Sociology (Subsidiary) Paper **(Dr. Pramod Gandhi-10/04/2020)**

दहेज प्रथा का प्रभाव

- लड़की के साथ अन्याय होता है। एक बेटी के जन्म से ही यह मान लिया जाता है कि वह एक बोझ है और पैसे बरबाद करने का एक स्रोत। इस मानसिकता के कारण भ्रूण हत्या की शुरूआत हुई। पैसे को कम खर्च करने के लिए भी लड़को को शिक्षित नहीं किया जाता। एक लड़की को बचपन से यही सिखाया जाता है कि उसे घर का काम करना आना चाहिए और चूल्हा चौका ही उसका जीवन है। बाल विवाह की शुरूआत भी इसी कारण से हुई थी कि परिवार का खर्च बचेगा। पहले यह माना जाता था कि जितनी ज्यादा लड़की की उम्र होगी उतनी ही दहेज की संख्या बढ़ेगी।
- महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है। लड़की के परिवार के अनुसार एक बार दहेज देकर और शादी कर वह संतुष्ट हो जाते है कि उनकी बेटी खुश रहेगी। परंतु लड़के का परिवार यह मानता है कि अब उसके पास पैसो का एक स्त्रोत मौजूद है। वह लड़की का उत्पीड़न करते हैं और पैसो की मांग करते हैं। कई बार महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है उन्हें मानसिक तनाव दिया जाता है और कई बार उनको मार भी दिया जाता है। दहेज के कारण महिला को जला कर मारने की खबरें देश में आम हैं।
- भारत में भ्रूण हत्या के कारण महिला और पुरूषो का लिंग संतुलन खराब हो रहा है। यह भारत के लिए बेहद खतरनाक स्थित है। हरियाणा और राजस्थान में महिला भ्रूण हत्या के कारण लिंग अनुपात बहुत कम हो गया है। इन राज्यों में 1000 लड़को पर 830 लडकियां हैं। इसी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराधो में वृद्धि हुई है।
- सदियों से ही महिलाओं को निचला दर्जा दिया गया है। इस कारण उनकी मानसिकता कुछ इस प्रकार हो गई है कि वह अपने आप को कमजोर समझने लगीं हैं। दहेज और कई अन्य रीतियों के कारण हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की गति धीमी हो रही है।
- दहेज मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। इससे राष्ट्र को व्यक्तिगत और समष्टिगत हानियाँ होती हैं। दहेज के प्रभाव में लड़की अयोग्य वर को सौंप दी जाती है। बेमेल विवाह ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होते। द्वन्द और संघर्षों के बाद तलाक की तौबत आ जाती है। माता–पिता ऋण के बोझ से दब जाते हैं। यदि किसी प्रकार चातुर्य से लड़की को अच्छा घर और अच्छा वर मिल भी गया और दहेज इच्छानुकूल उसके साथ न पहुंचा, तो ससुराल में लड़की का जीवन दूभर हो जाता है। वह या तो पिता के घर वापस आ जाती है या उसे मौत की शरण लेनी पड़ती है।
- कभी – कभी सास और ससुर भी मायाजाल रचकर अपनी बहू को मौत के मुँह में पहुँचा देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक विवाहित स्त्रियों की आत्महत्या का कारण दहेज की अपर्याप्तता ही पाई गई है। दहेज के बिना विवाह के अभाव में बहुत–सी अबोध बालिकाएँ वंश की मान मर्यादा और घर की प्रतिष्ठा भी खो बैठती हैं और नारकीय जीवन व्यतीत करने लगती हैं। कभी – कभी अधिक दुखी और हताश होकर माता या पिता स्वयं ही आत्म–हत्या कर बैठते हैं। ये देश की व्यक्तिगत हानियाँ हैं जो असह्य हैं।
- दहेज प्रथा राष्ट्र के समष्टिगत रूप के लिए सबसे बड़ा घातक शत्रु है। पिता जब यह देखता है कि मेरी कन्या बिना धन और बिना दहेज के अच्छे घर को प्राप्त नहीं कर सकती तो वह विवश होकर भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, चोरी, तस्करी करता है और काला धन इकट्ठा करने पर जुट जाता है जिसका परिणाम होता है देश में आवश्यक वस्तुओं का अभाव, दुर्भिक्ष और मुद्रा–स्फीति। ये सामाजिक कुरीतियाँ और कुप्रथाएँ देश को भयंकर आर्थिक संकट के कगार पर लाकर खड़ा कर देती हैं।

DR. P. GANDHI

समिति के प्रकार

समिति और हित या उद्देश्य के बीच गहरा सम्बन्ध है। समान हितों या उद्देश्यों को लेकर समिति की जान–बूझकर स्थापना की जाती है।समिति के निर्माण का आधार व्यक्तियों के भिन्न–भिन्न प्रकार के हित हैं। हितों, रूचियों या उद्देश्यों की भिन्नता के कारण ही अनेक प्रकार की समितियाँ देखने को मिलती हैं। सभी समितियाँ मुख्यतः निम्न प्रकारों के अन्तर्गत वर्गीकृत की जा सकती हैं:–

(1) **आर्थिक समितियाँ** (व्यापारिक समितियाँ, मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियाँ आदि)

(2) **राजनीतिक समितियाँ** (राजनीतिक दल)

(3) **सांस्कृतिक समितियाँ** (धार्मिक समाज, रामकृष्ण मिशन)

(4) **शैक्षणिक समितियाँ** (समाजशास्त्र परिषद्, वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मण्डल)

(5) **मनोरंजनात्मक समितियाँ** (व्यायामशाला, क्लब, नाट्य–मण्डली, खेल–कूद परिषद्)

(6) **सेवा एवं सामान्य–कल्याण समितियाँ** (अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी–कल्याण परिषद्)

DR. P. GANDHI